अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

08 02.05.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** विविध वाद सं0 – 11 आर० 28/2022–23 बसंत कुमार मिश्रा पिता यदु नाथ मिश्रा, निवासी 14, टाटी, मिश्रा टोली, थाना टाटीसिल्वे, जिला रॉची .... आवेदक बनाम 1. निर्वाची पदाधिकारी, पंचायत समिति – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रॉची 2. रमेश कुमार पिता हरिवंश प्रसाद राम, निवासी ग्राम बित बंगला, थाना टाटीसिल्वे, जिला रॉची .... विपक्षी आदेश प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, रॉची द्वारा पत्रांक 1166 (ii) दिनांक 16.06.2022 द्वारा अग्रेसित आवेदक बंसत कुमार मिश्रा द्वारा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 151 सह–पठित नियम 81 (2) ग्राम पंचायत नियम, 2001 के अन्तर्गत दाखिल निर्वाचन याचिका के आधार पर आरम्भ किया गया है। आवेदक ने उपरोक्त याचिका द्वारा निर्वाची पदाधिकारी, पंचायत समिति – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रॉची (विपक्षी सं० 1) को दिनांक 24.05.2022 को सम्पन्न टाटी पूर्वी 1, पचांयत समिति चुनाव के मतों की पुनर्गणना हेतु निदेश पारित करने का प्रार्थना किया है। प्रस्तुत वाद मे आवेदक दिनांक 18.10.2022 को उपस्थित हुए तथा तत्पश्चात् वे लगातार इस वाद मे अनुपस्थित है। विगत तिथि को बार बार पुकार करने के बावजुद आवेदक की ओर से इस वाद मे बहस करने हेतु कोई उपस्थित नही है। आज भी पुनः पुकार पर अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अब इस वाद के संचालन मे कोई अभिरूचि नही रह गई है। अभिलेख का समग्र अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक का	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दावा है कि उनके मतदान अभिकर्त्ता के प्रतिवेनुसार कुल 3294 मत डाले गये थे, जिसमे से मात्र 2974 मतों की गिनती की गई, परन्तु प्रस्तुत वाद मे निर्वाची पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची द्वारा पत्रांक 40 (i)/नि० दिनांक 29.04.2023 के माध्यम समर्पित जॉच प्रतिवेदन क अनुसार नियम 83 (1) के प्रपत्र 21 के अनुसार कुल 3309 मत डाले गये थे, जिसमे मे प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 100 पाये गये तथा विधिमान्य मतों की कुल संख्या 3209 थी। अभिकर्त्ता द्वारा मतदान के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गई।

उपरोक्त तथ्यों से परिलक्षित होता है कि आवेदक का दावा सही नही है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है।

इस आदेश की प्रति निर्वाची पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य – सह –अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

(लेखापित एवं संशोधित)

उपायुक्त
राँची

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:17:23 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9